

प2-26

पत्रावली "पेशा हद्दी" व कुलपत्र पत्रावली में उपस्थित।  
होगे बहरा पर उक्त पत्रावली आधिकारिकता में जो पुनः  
गया। पत्रावली एवं उक्त प्रत्येक दस्तावेजी रिपोर्ट  
का गन्ती गौरी आचार्यन जिम्मा जिसके आदेश पर  
गागला एवं सुविद्या का शीतलक प्राथमिक के  
हक में प्रतीत होता है।

अतः आदेशित आदेशों विधेयाना प्राथमिक  
के विरुद्ध ताफ़ेसला मूलवाद इस आग्रह से जारी  
की जाती है कि आ.ख.नं. 1196, 1197, 1199, 1200,  
1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206 वॉके ग्राग  
जारी की तह. मुसावर की रिपोर्ट एवं गौरी की  
अप्राप्ति से अनिष्ट रहे। तथा प्रकरण संख्या 76/25  
उनवाली - चन्द्रगान बनाम अशोक वर्मा जो इस  
अप्राप्ति उनवाली मु.सं. 75/25 उनवान अशोक वर्मा  
बनाम - चन्द्रगान वर्मा में कन्वैलिटिड है, जो  
की स्वीकार किया जाता है एवं न्यायालय हाजिर  
जारी शुद्ध स्थगन आदेश दिनांक 16.06.2025 को  
ताफ़ेसला मूलवाद पुष्ट किया जाता है।

उक्त दोनों पत्रावलियाँ फ़ैसल शुमार डेकर  
नंबर से कम हो, बाद तकनीक जाया दाखिल  
दफ्तर हो।

सपखण्ड अधिकारी  
मुसावर (भरतपुर) राजग